न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री पेाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 28/2017

पन्नीदेवी पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी रंगमहल हाल गांव गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलल सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 76 रा.भू.अधि. 1955
विरूद्व आदेश सहायक उपनिवेशान आयुक्त सूरतगढ
दिनांक 26.08.1976
उपस्थिति
श्री शिशपाल शर्मा अपीलार्थीगण
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 29.09.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ के आदेश दिनांक 26.08.1975 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2017 को पेश की है।उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को आवंटित भूमि ग्राम रंगमहल के ख.न. 130,131 प 99 की 25 बीघा भूमि के आवंटन को रिव्यु करते हुए आवंटन निरस्त किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया अधी. न्यायालय ने अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन स्वयं रिव्यु करते हुए खारिज कर दिया एवं आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं को सुना गया । मियाद के बिन्दु पर वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को 30.01.2017 करे उस समय हुई जब विवादित भूमि का खातेदारी लेने हेतु पत्रावली का नकल निकलवाई । नकल प्राप्त कर बिनाा किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद का प्रा.पत्र मय शपथा पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कि अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.08.1976 के विरुद्ध दिनांक 01.02.2017 को लगभग 41 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इतने लम्बे विलम्ब को माफ कराने के समुचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है। इसलिए अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर योजना सूरतगढ के निर्णय दिनांक 26.08.1975 के विरूद्ध दिनांक 01.02.2017 को लगभग 41 वर्ष बाद पेश हुई जो इस न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.03.2017 में मिसरइ के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखाते `हुए दर्ज रजिस्टर के आदेश हुए है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रा.पत्र में 41 वर्ष के Delay condon के प्रा.पत्र में आवंटन खारजी की जानकारी दिनांक 30.01.2017 को होना जाहिर किया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली की आदेशिकाओं में अपीलांट का मुखत्यार खास श्री सुखाराम पेशियों पर हाजिर आ रहे । इससे सम्बन्धित मुखत्यार नामा खासय की सत्य प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर शामिल मिसल होने के आदेश दिनांक 06.06.68 करे दिये हुए है तथा पत्रावली नी आवंटन कार्यवाहियों प्रकियाओ में अपीलाट पन्नीदेवी बेवा मूलाराम के मुखत्यार खास सुखाराम ,द्वारा कार्यवाही की गइ है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.09.1973 में अपीलांट के मुखत्यार खास की हाजरी अंकित होकर उसके बयान लिये जाना दर्शाया है जिसके आधार पर पत्रावली वास्ते निर्णय सलाहाकार समिति के समक्ष दिनांक 18.09.1973 नियत हुई एवं इस तिथि की आदेशिका की हुबहू नकल है कि '' मिसल पेश हुई मुखत्यार खास हाजिर, सलाहाकार समित का कोरम पूरा है । सायल को ग्राम रंगमहल में 130 की 7.05, 131 में 13.12, 99 में 4.3 बीधा कुल 25 बीधा कीमतन स्थाई आवंटित की जाती है। विस्तृत आदेश संलग्न है। (एसडी) अर्थात अपीलांट का आवंटन उसके मुख्तयारखास सुखाराम की उपस्थिति में होना प्रमाणित है ।

आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. सूरतगढ़ का नोटिस मि.स.न. 819 दिनांक 28.07.1995 अपीलांट पन्नी देवी स्वंय को तामिल होना रिकॉर्ड से प्रमाणित है जिसमें उसे आवंटित कृषि भूमि दिनांक 18.09.73 को खारिज

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने का नोटिस दिया जाकर दिनांक 26.08.1975 को उजर पेश करने के लिए सूचित किया गया था ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक (26.07.1975) शायद लिखने में सहवन से आवंटी अपीलांट का आवंटन निरस्त किए जाने के आदेश दिए हैं। आदेश पर हस्ताक्षर व दिनांक 26.08.1975 अंकित है जिस पर अपीलांट के मुख्तयार खास सुखाराम के हस्ताक्षर हैं अर्थात आवंटन खारिजी अपीलांट के मुख्तयारखास सुखाराम की उपस्थिति में होकर स्वयं आदेशिका के हस्ताक्षर से प्रमाणित है कि आवंटन का ज्ञान अपीलांट के मुख्तयारखास को आवंटन खारिजी की दिनांक दिनांक 26.08.1975 को ही हो गया था यह पत्रावली की फर्द अहकाम से प्रमाणित है । अतः मियाद की गणना दिनांक 30.01.2017 की बजाय दिनांक 26.08.1975 से किया जाने से अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश हुई है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर